

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद

बनुमत-पत्र

गृह निर्माण अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल द० प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की घारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न ; समझता चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे किसी भ्राकार या किसी स्थानीय लिंकप या इसका स्थानीय आवश्यकारी या व्यक्ति अथवा फार्म के मालिकाना या बंकारों पर किसी का कांडा असर पड़ेगा अ और यह अनुमति किसी के स्थितिशास्त्र या स्वामित्व के अधिकारों के त्रुट्टी-कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्राप्तवन्धनों के बाद पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री
प्रिया/पति का नाम थी... पूर्णपूर्ण वाइफैल्ड एवं वाइफैल्ड एवं पर
दीर्घित स्थान पर जो प्राप्तना-पत्र के अनुसार लिये गये हैं, सांचव के चिह्नित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा
पुनः निर्माण करें।

दिनांक 29.1.2016 तक

समय छूटि भवन
की जाती है।



29/1/2016
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

प्रभारी विकास (भरत)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
दीर्घित पत्र के बाबत याच वर्ष की जाति के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मालिकान
के अनुदायक होता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूछे जाये भार प्राची या दूर होता है। यदि कोई दीर्घित स्थान विकास प्राधिकरण को अनुमति प्राप्त करे तो निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यदू अधिनियम की घारा 27 के अन्तर्गत इण्डनीय होगा इथा
सुचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के लिए का भार उस इमारत बनाने वाले से
10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।

2—इस अनुमति-पत्र में सहृकृत, यानी या नाली पर बढ़ा कर प्राजेतान जैसे कि पौर्णि का, बारंजा, तोरिया,
लीहो, हाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण का, स्वीकृति चाहे उसके साथ नवां में
दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।

3—मकान निर्माण से यदि नाली के सहृकृत की पट्टी अथवा सहृकृत या नाली के किसी भाग (जो मकान के अन्तर्बाहे पिछवाहे अथवा उसके आकार के कारण इस गई हो) को हार्न फूँचे तो यह स्वामी गृह दीवार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा योद्द विकास प्राधिकरण ने एक लिंखत सूचना द्वारा ऊर शोषण कहा तो यहाँ द्वारा उस अपने
खंबे से भरम्भत कराकर पूर्णत अवश्यक जैसे विकास प्राधिकरण को संबोध हो जाय, ऐसा देया।


4—गृह निर्माण के समय इसका भी ज्ञान रखना होगा कि भारतीय विष्वद अधिनियम (1956 (इंडियन इलोक्टसिटी लॉ 1965) नियम 82 का चलन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि विकास प्राधिकरण
की जानकारी में ऐसे मासले पर्याय भवे हो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

5—प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नीच तक तथा यह तक जाने एवं उसके
पुर्ण हो जाने की सूचना मकान बाबाद होने से पूर्ण देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके नियमक्रम
में मकान निर्मित हुआ है।

6—यदि निर्माण में आलूर ज्वान का उल्लंघन होता पाया जाया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रह सकती
रही और किया जाया जाय निर्माण अनुरक्त बोधन कर उक्त बोधनियम की घारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही
एवं जीवांशी।

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Master 502 A-C At 100% Scale



BASEMENT PLAN

AREA CHART OF EXISTING BUILDING

EXISTING AREA ON G.F.	= 1111.29 SQ.MT.
EXISTING COVERED AREA ON G.F.	= 1070.90 SQ.MT.
TOTAL EXISTING AREA	= 2181.50 SQ.MT.
PROPOSED NO. OF CAR PARKING	= 22 CARS
EXISTING CAR PARKING AREA	= 380.00 SQ.MT.
MACHINE ROOM AREA	= 77.41 SQ.MT.

EXISTING & PROPOSED BUILDING PLAN OF HOTEL YATRIK SITE NO.

QO/2 BANGLOW NO.33 CIVIL STATION AT SARDAR

ALLAHABAD

SCALE : 1:100

mm

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

CLEMENT CONC. IN FOUNDATION	4015.13 SQ.MT.
LOCAL PLASTER AREA	1555.54 SQ.MT.
ROOF AND FLOOR AREA	3175.00 SQ.MT.
BASEMENT AREA	3000.00 SQ.MT.
TOTAL COVERED AREA ON G.F.	3048.00 SQ.MT.
COVERED AREA ON S.P.	3829.56 SQ.MT.
ACHIEVED AREA	1056.00 SQ.MT.
TOTAL NO. OF TREES	0.888
EXISTING CAR PARKING AREA	3000.00 SQ.MT.
PROPOSED CAR PARKING	645.00 SQ.MT.
EXISTING CAR PARKING SHOWN	0.00
PROPOSED WORK SHOWN THUS	645.00

EXISTING & PROPOSED BUILDING PLAN OF HOTEL YATRIK SITE NO. QO/2 BANGLOW NO.33 CIVIL STATION AT SARDAR PATEL MARG ALLAHABAD

OWNER

ANNAPURANA TEXTILE PVT. LTD.
DIRECTOR : JYOTI NGARWAL

THE ANNAPURANA TEXTILE PVT. LTD.

DIRECTOR


SCALE : 1:100

SIG. OF OWNER / DIRECTOR

SIG. OF ENG. / ARCH.

